दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

Social Justice Union

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, गुरुवार 24 जून 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 264

बीपीओ में सरकार ने किया बड़े सुधार का एलान, नए दिशानिर्देशों में देशी व विदेशी ओएसपी में अंतर खत्म

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने बीपीओ इंडस्ट्री में बड़े सुधार का एलान किया है। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब देशी व विदेशी ओएसपी (अदर सर्विस प्रोवाइडर्स) का अंतर खत्म कर दिया गया है। इससे देश में समान दूरसंचार सुविधाओं से लैस कोई भी बीपीओ अब भारत समेत पूरी दुनिया के किसी भी ग्राहक को सेवाएं दे सकेगा। प्रसाद ने कहा कि हमने यह बड़ा फैसला किया है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब ओएसपी का इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट आटोमैटिक ब्रांच एक्सचेंज विश्व में कहीं पर भी स्थित हो सकता है। उन्होंने बताया कि इस गाइड लाइन का का उद्देश्य भारत को अंतरराष्ट्रीय बीपीओ उद्योग का बड़ा व गंभीर खिलाड़ी बनान है। भारत का बीपीओ उद्योग आज 37.6 अरब डॉलर का है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसके वर्ष 2025 तक 55.6 अरब डॉलर तक पहुंचने की क्षमता है। मंत्रिमंडल ने कर संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान और संग्रह में सहायता के लिए भारत तथा सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस के बीच समझौते को मंजूरी दी है। सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस द्विपीय देश हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार भारत तथा सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस के बीच समझौते से दोनों देशों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। इन सूचनाओं में बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के पास उपलब्ध कानूनी और लाभकारी स्वामित्व के बारे में जानकारी भी शामिल है। यह दोनों देशों के बीच कर-दावों के संग्रह में भी सुविधा प्रदान करेगा। इस प्रकार, यह काला धन के सृजन में मददगार विदेश में कर-चोरी और कर से बचने के तौर-तरीकों से निपटने की भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा। बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत तथा सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस के बीच करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान तथा संग्रह में सहायता के लिए समझौते को मंजूरी दी है।

समझौते में विदेश में कर जांच के प्रावधान भी शामिल

समझौते में विदेश में कर जांच के प्रावधान भी शामिल है। इसके तहत एक देश, दूसरे देश के प्रतिनिधियों को संबंधित व्यक्तियों से जानकारी लेने के लिये उससे बातचीत करने और कर उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड की जांच करने के लिए अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है।

सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस के साथ पूर्व में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। भारत लंबे समय से इस समझौते के लिए बातचीत कर रहा था। अंत में, सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस ने भारत के साथ इस समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमति व्यक्त की। यह दोनों देशों के बकाया कर दावों के संग्रह के लिए सूचनाओं के आदान-प्रदान और सहायता के माध्यम से दोनों देशों के बीच कर सहयोग को बढ़ावा देगा।

महत्वपूर्ण एवं खास

कार पलटने से चार की मौत, दो घायल

आगरा (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश में आगरा के इनर रिंग रोड टोल प्लाजा के पास रहनकला यमुना के पुल के ऊपर बीती देर रात को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई जिसमें चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल गाड़ी में फंसी सवारियों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पतालों भेजा । कार टोल से आगरा की ओर जा रही थी। पुलिस ने कहा कि घटना में आशीष, कृष्णा सिंह, अरसद और निखिल की मौत हो गई ।

2 आतंकियों ने पिस्तौल से की पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या

श्रीनगर (आरएनएस)। श्रीनगर के बाहरी इलाके में दो आतंकवादियों ने पिस्तौल से एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। पुलिस ने रात करीब आठ बजे बताया कि बीती शाम को दो अज्ञात आतंकवादियों ने स्थानीय मस्जिद के सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर निरीक्षक पर उस समय अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जब वह रात 8 बजे नमाज अदा करने जा रहा था। यह घटना श्रीनगर जिले के मेंगनवाजी नौगाम इलाके में हुई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने कहा, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दो आतंकियों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार पुत्र गुलाम नबी डार पर पिस्तौल से उस समय गोली चलाई, जब वह मगरिब की नमाज अदा करने जा रहा था। पुलिस ने कहा, इस आतंकी घटना में, वह गंभीर रूप से गोली लगने से घायल हो गया था और उसे इलाज के लिए पास के अस्पताल में भेज दिया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया और शहीद हो गया। हम शहीद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों को अनाथ छोड़ गए। उनके 13 साल की बेटी और 10 साल का बेटा है। पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में दो आतंकवादियों द्वारा पिस्तौल से गोलीबारी करते हुए दिखाया गया है। पुलिस ने कहा, पहचान की जा रही है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इस संबंध में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जांच जारी है और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।

तीन मंजिला इमारत गिरी, एक युवक की मौत

लखनऊ (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र स्थित रिवर बैंक कालोनी में तीन मंजिला इमारत ढह गई। इस दौरान मलबे के नीचे दबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू के लिए स्थ्रक्ष टीम को बुलाया। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने मलबे के नीचे से मजदूर के शव को बाहर निकाला। रिवर बैंक कालोनी में सूरज कुंड से सटे बना गोमती सदन काफी जर्जर हालत में था। इस इमारत के अगले हिस्से में जिओ फाइबर कंपनी में काम करने वाले गौरव त्रिवेदी अपने चाचा ज्ञानी त्रिवेदी के साथ रहते थे। पुलिस ने बताया कि गौरव बाहर वाले कमरे और ज्ञानी अंदर वाले कमरे में सोते थे। सुबह करीब 7 बजे बाहर वाले कमरे की छत अचानक ढह गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम और स्थ्रक्ष की टीम ने कड़ी मश्क्कत कर गौरव को बाहर निकाला, लेकिन तब तक गौरव की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बेटे के 18 साल के होने पर खत्म नहीं होती पिता की जिम्मेदारी : कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बेटे की उम्र 18 साल हो जाने पर पिता का उसके प्रति दायित्व खत्म नहीं हो जाता। बेटे के बालिग होने के बाद उसकी एजुकेशन और अन्य तमाम खर्चे अकेले मां पर ही नहीं डाले जा सकते और पिता को भी उसकी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह बात कही। इसके साथ ही कोर्ट ने लड़के के पिता को हर महीने उसकी मां को 15,000 रुपये मासिक खर्च देने को कहा है, जिससे उसने तलाक ले लिया है। अदालत ने कहा है कि लड़के के ग्रैजुएशन पूरी करने तक या फिर उसके कमाई शुरू करने तक पिता को यह भत्ता देना होगा। अदालत ने कहा कि पिता इस बात से आंखें बंद नहीं कर सकता कि अब लिविंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ऐसे में बेटे की पढ़ाई और खुद के खर्च का जिम्मा अकेले मां पर ही डालना गलत होगा। इससे पहले 2018 में ट्रायल कोर्ट ने महिला की अर्जी को खारिज कर दिया था और बेटे की पढ़ाई के लिए पिता की ओर से खर्च दिए जाने की बात से इनकार किया था।

हालांकि अदालत ने नाबालिग बेटी के लिए पिता को खर्च देने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यन प्रसाद ने कहा कि लड़के के बालिग होने पर मां को उसकी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, लेकिन उसके पढ़ाई समेत अन्य तमाम खर्चों के लिए आय नहीं है। ऐसे में पिता को अपनी आय से लड़के के कमाने योग्य होने तक या फिर ग्रैजुएशन कंप्लीट करने तक जरूरी खर्च देना चाहिए।

एलोपैथी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे योगगुरु रामदेव

» देशभर में दर्ज सभी मामले एक साथ करने की मांग की

नई दिल्ली (आरएनएस)। योग गुरु बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज तमाम एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। एलोपैथी चिकित्सा और डॉक्टरों को लेकर उनकी ओर से दिए गए विवादित बयानों को लेकर बीते कुछ दिनों में योग गुरु के खिलाफ कई केस दायर किए गए हैं। अपनी अर्जी में बाबा रामदेव ने मांग की है कि आईएमए की ओर से उनके खिलाफ कराई गई एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। रामदेव के खिलाफ आईएमए की पटना और रायपुर यूनिट की ओर से केस दायर किए गए हैं। बाबा रामदेव ने इन दोनों ही एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर किए जाने की मांग की है।

रायपुर पुलिस ने बाबा रामदेव के खिलाफ एलोपैथी चिकित्सा पद्धति और दवाओं को लेकर गलत जानकारी फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। बीते सप्ताह पुलिस ने यह केस दर्ज किया था। इस एफआईआर को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की छत्तीसगढ़ यूनिट ने दर्ज कराया है। योग गुरु के खिलाफ महामारी को लेकर लापरवाही बरतने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत भी उनके केस फाइल किया गया है। बाबा रामदेव का पिछले दिनों एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह कथित तौर पर डॉक्टरों पर तंज कसते दिख रहे हैं। इसके बाद से ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और योग गुरु के बीच जुबानी जंग तेज हो गई थी। एलोपैथी पर की गई टिप्पणी को लेकर देशभर में एफआईआर का सामना कर रहे बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। योग गुरू बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और एलोपैथी को लेकर की गई टिप्पणियों पर देश के अलग-अलग हिस्सों में दर्ज एफआईआर को क्लब यानी कि एक साथ करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पटना और रायपुर विंग द्वारा दर्ज मुकदमों में किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की मांग की है।

देश में बढ़ रहा डेल्टा प्लस वेरिएंट का खौफ, वायरस के रडार पर 4 राज्य

» अब तक 40 मरीज मिले, ये 4 राज्य हैं वायरस के रडार पर

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही ढलान पर हो, मगर कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने एक बार फिर से देश की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अब यह आंकड़ा 40 तक पहुंच गया है। सरकारी सूत्रों की मानें तो देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 40 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से सबसे अधिक महाराष्ट्र के हैं।

सरकारी सूत्रों की मानें तो देश में अब तक चार राज्यों- महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। सरकार के मुताबिक, भारत उन दस देशों में से एक है, जहां अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। सरकार ने कहा कि 80 देशों में डेल्टा स्वरूप का पता चला है। इसे लेकर सबसे डरने वाली बात यह है कि यह डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन और इम्युनिटी दोनों को चकमा दे सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि भारतीय सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (आईएनएसएसीओजी) ने सूचना दी थी कि डेल्टा प्लस स्वरूप, वर्तमान में चिंताजनक स्वरूप (वीओसी) है, जिसमें तेजी से प्रसार, फेफड़े की कोशिकाओं के रिसेप्टर से मजबूती से चिपकने और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रतिक्रिया में संभावित कमी जैसी विशेषताएं हैं। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस स्वरूप भारत के अलावा, अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन और रूस में मिला है। भारतीय सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (आईएनएसएसीओजी) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक समूह है जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गठित किया है। आईएनएसएसीओजी वायरस के नए स्वरूप तथा महामारी के साथ उनके संबंधों का पता लगा रहा है। केंद्रीय सचिव भूषण ने कहा कि मोटे तौर पर, दोनों भारतीय टीके- कोविशील्ड और कोवैक्सीन, डेल्टा स्वरूप के खिलाफ प्रभावी हैं, लेकिन वे किस हद तक और किस अनुपात में एंटीबॉडी बना पाते हैं, इसकी जानकारी बहुत जल्द साझा की जाएगी।

भारत, फिजी ने कृषि, संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए किया समझौता

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत और फिजी ने दोनों देशों के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन इसके हस्ताक्षर की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए वैध रहेगा और इसकी अवधि में किसी भी बदलाव को दोनों पक्षों द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित करना होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और फिजी के कृषि मंत्री महेंद्र रेड्डी ने एक आभासी बैठक में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन डेयरी उद्योग विकास, चावल उद्योग विकास, जड़ फसल विविधीकरण, जल संसाधन प्रबंधन, नारियल उद्योग विकास, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकास, कृषि मशीनीकरण, बागवानी उद्योग विकास, कृषि अनुसंधान, पशुपालन, खेती, मूल्यवर्धन और विपणन, कटाई के बाद और मिलिंग, पशुओं के प्रजनन, कीट और रोग के क्षेत्र में सहयोग देने का संकल्प है। दोनों देशों के कृषि मंत्रालय अपने-अपने पक्षों की कार्यकारी एजेंसियां होंगी। समझौता ज्ञापन के तहत, प्रक्रियाओं को निर्धारित करने और योजना बनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग के कार्यक्रमों की सिफारिश करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की जाएगी।

देश में कम हुआ कोरोना संक्रमण का असर

» 24 घंटे में मिले 50,848 नए मामले, 1358 मरीजों की गई जान

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस भले ही लगातार कम होता दिख रहा है, लेकिन यह खतरनाक वायरस अभी खत्म नहीं हुआ। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 50 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए और 1358 मरीजों की संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को जारी आंकड़ो के मुताबिक देश में 50 दिनों में कोरोना वायरस के एक करोड़ मामले आने के साथ ही महामारी के मामलों की संख्या अब तीन करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। एक दिन में 50,848 नए मरीज आने से संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 3,00,28,709 पर पहुंच गई। इसी दौरान देश में कोरोना संक्रमण से 1,358 लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 3,90,660 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के मामले 19 दिसंबर को एक करोड़ का आंकड़ा पार कर गए थे, जिसके बाद उसे चार मई को दो करोड़ का आंकड़ा पार करने में करीब 136 दिन लगे और मात्र 50 दिनों में कोरोना वायरस ने एक करोड़ मामले पार कर लिए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या तीन करोड़ के पार चली गई है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 6,43,194 पर पहुंच गई है जो संक्रमण के कुल मामलों का 2.14 प्रतिशत है जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की राष्ट्रीय दर 96.56 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

पिछले 24 घंटों में 68,817 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। भारत में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 82 दिनों में सबसे कम हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 96.56 फीसदी हो गया है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.67 फीसदी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 54,24,374 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 29,46,39,511 हुआ।

टीकाकरण और कोविड प्रोटोकॉल से रोकी जा सकती है कोरोना की तीसरी लहर : डॉ. वीके पॉल

नई दिल्ली (आरएनएस)। एक दिन में रिकॉर्ड 86 लाख लोगों को टीका लगाने के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए तेजी से टीकाकरण ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही सरकार ने प्रतिदिन एक करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य भी तय किया है।

दूसरी लहर का असर कम होने और टीकाकरण अभियान में तेजी से उत्साहित नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल का कहना है कि कोरोना सम्मत व्यवहार करने व बड़ी संख्या में आबादी को टीका लगाने से तीसरी लहर को आने से रोका जा सकता है। आर्थिक गतिविधियों को खोलने के लिए टीकाकरण पर जोर देते हुए डॉ. पॉल ने कहा कि हमें अपना दैनिक कार्य करने, अपने सामाजिक जीवन को बनाए रखने, विद्यालय, व्यवसाय खोलने, अपनी अर्थव्यवस्था की देखभाल करने की आवश्यकता है, हम यह सब तभी कर पाएंगे जब हम तेज गति से टीकाकरण कर पाएंगे। उन्होंने कोविड-19 टीकों के खिलाफ अफवाहों को भी खारिज करते हुए कहा कि यह सोचना एक बड़ी गलती है कि हमारे टीके असुरक्षित हैं। टीके जीवन बचा रहे हैं, दूसरी लहर का असर कम हो रहा है और अब वैक्सीन लेने का सबसे अच्छा समय है। लोगों को जागरूक होकर इसमें भागीदारी करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि देश में टीकों की कोई कमी नहीं है। सरकार दुर्गम इलाकों तक टीकों को पहुंचा रही है।

वहीं कोविड 19 वैक्सीनेशन मिशन की निगरानी करने वाले राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉ. एनके अरोड़ा ने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रतिदिन एक करोड़ लोगों को टीका लगाने का है। हमारी क्षमता इतनी है कि हम प्रतिदिन 1.25 करोड़ लोगों को आसानी से टीका लगा सकते हैं।

वायरस के कई स्वरूपों में कॉकटेल इलाज कारगर

कोरोना के इलाज में दो एंटीबॉडी का कॉकटेल इलाज कारगर रह सकता है। वैज्ञानिकों ने चूहों और हेमस्टर पर किए अध्ययन के बाद कहा कि कॉकटेल इलाज कोरोना वायरस के साथ ही कई इसके कई स्वरूपों में कारगर रहा है। शोधकर्ताओं ने अमेरिकी फूड एवं ड्रग एडमिनस्ट्रिेशन द्वारा आपात इस्तेमाल के लिए मंजूर किए गए एकल और एंटीबॉडी के कॉकटेल उपचार का अध्ययन किया। जर्नल नेचर में छपे इस अध्ययन के मुताबिक ज्यादातर कॉकटेल इलाज चूहों और हेमस्टर पर वायरस के कई स्वरूपों पर कारगर रहा। अमेरिका की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने पाया कि कॉकटेल इलाज से दवाओं की प्रतिरोधक क्षमता में कमी देखी गई।